कुरआन ख़्वानी
और ईसाले सवाब

74

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला है।

सब तारीफ़े अल्लाह तआला के लिए हैं। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल0 पर, आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर।
व बअद।

कुरआन ख़्वानी के ज़रिये मुर्दों को सवाब पहुंचाने का रिवाज अब तक़रीबन हर जगह आम है। आम मुसलमान अपने मुर्दों को ईसाले सवाब के लिए कुरआन ख़्वानी की मजलिस मुकर्रर करते हैं और इस मजलिस में हाज़िर होने वाले लोग या मख़सूस पेशावर कुरआन ख़्वां जैसे – तैसे कुरआन पढ़ कर उसका सवाब मय्यत को पहुंचाने की दुआ करते हैं।

इस रस्म ने अब कारोबार की शक्ल इख़्तियार कर ली है। मीलाद ख़्वां की तरह अब कुरआन ख़्वां भी हर जगह मिल जाते हैं और कुरआन ख़्वानी की उजरत भी कुरआन ख़्वानों की हैसियत के मुताबिक़ घटती–बढ़ती रहती है। क़ब्रिस्तानों में पेशावर कुरआन ख़्वानों की जमाअत मौजूद रहती है। यतीम ख़ानों और दीनी मदरसों के मिस्कीन तालिबे इल्म व हुफ़्फ़ाज़ की रोज़ी का एक ज़रिया कुरआन ख़्वानी भी बन गया है। ऐसी हालत में ख़ुराफ़ात की इस आंधी को रोकना और अपने मुस्लिम भाईयों–बहनों को इस बिदअत से बचाना व दूर रखना आसान काम नहीं है।

कुरआन ख़्वानी की इसी मुरव्वजा रस्म के बारे में यह फ़ोल्डर है जो एक मिसरी आलिम 'मुहम्मद अहमद अब्दुस्सलाम' के अरबी रिसाले 'अहदा अल क़िराअत लिल अमवात' जिस का उर्दू तरजुमा मुख़्तार अहमद नदवी रह. ने किया है का सारांश है। अल्लाह इस के लिए उन्हें अज्रे अजीम से नवाज़े और इस से हमे फायदा पहुंचायें (आमीन)

ज़ियारते क़ुबूर

''नबी सल्ल0 जब किसी मय्यत को क़ब्र में उतारते तो यूं फ़रमाते 'बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह' यानि 'अल्लाह के नाम से और रसूल सल्ल0 के तरीक़े पर' **(अबुदाऊद–3213&नसाई–1088&इब्ने हिब्बान–773–सही)** और जब मय्यत को दफ़्न करके फ़ारिग़ हो जाते तो क़ब्र पर रूकते और फ़रमाते ''अपने भाई के लिए अस्तग़फ़ार करो और साबित क़दमी की दूआ मांगो। बेशक उससे सवाल किया जाएगा।'' **(अबु दाऊद–3221&बैहक़ी&हाकिम–हसन)**

मगर अफ़सोस। यह सुन्नत तो आज मिटती जा रही है और 'अल फातिहा' नाम की बिदअत आम होती जा रही है। जबकि किसी सही हदीस में यह ज़िक्र नहीं है कि रसूल सल्ल0 ने कभी किसी क़ब्र पर कोई सूरह या कुरआन पढ़ा हो बल्कि आप सल्ल0 का इर्शाद है ''क़ब्रों की ज़ियारत किया करो। क्योंकि क़ब्रें मौत को याद दिलाती हैं, दुनियां से बे रग़बत करती हैं और आख़िरत की याद ताज़ा करती हैं।''
(इब्ने माजा–1571&अबु दाऊद–3235–सही)

रसूल सल्ल0 जब क़ब्रिस्तान जाते तो यह दुआ करते "सलामती हो तुम पर ऐ इन घरों के मोमिन लोगों। हम भी इन्शाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं।"**(अबु दाऊद–3237&मुस्लिम–2257)** इन अहादीसे रसूल सल्ल0 से मालूम हुआ कि मुर्दों के लिए दुआ की जाए, उन पर सलाम किया जाए और उन से इबरत हासिल की जाए। फ़ातिहा का मुख्वजा तरीक़ा रसूल सल्ल0 और सहाबा किराम रज़ि. से साबित नहीं है।

मय्यत को किन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचता है?

(1) अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया "जब इन्सान मर गया तो उसका अमल ख़त्म हो गया सिवाए तीन तरीक़े के (1) सदका जारिया (2) वह इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए और (3) नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे।"**(अबुदाऊद–2880 सही नसाई–3684)**

(2) "मोमिन के अमल व उसकी नेकियों में उसकी मौत के बाद जो उसको पहुंचता है वह इल्म है जो वह किसी को सिखाए व फैलाए, नेक औलाद छोड़े (जो उसके लिए दुआ करे) और कुरआन का वारिस बनाए, या मस्जिद तामीर कराए, या मुसाफ़िर ख़ाना बनावाए या ऐसा सदक़ा जो वह अपने माल में से करे अपनी सेहत व ज़िन्दगी में तो वह उसे उसकी मौत के बाद पहुंचेगा।"**(इब्ने माज़ा–242–सही)**

(3) "जो शख़्स कोई सुन्नत (जो गुम हो चुकी हो) जारी करे तो उसे उस सुन्नत को ज़िन्दा करने का सवाब मिलेगा और उन लोगों को भी जो उस सुन्नत पर उसकी वफ़ात के बाद भी अमल करते रहेंगे और उन लोगों के अज्र में कोई कमी नहीं की जाएगी।"

(मुस्लिम–7033&इब्ने माज़ा–203&तिरमिज़ी–2460)

(4) "मय्यत की तरफ़ से कोई चीज़ सदक़ा की जाए तब भी उसको सवाब पहुंचता है–"एक शख़्स ने रसूल सल्ल0 से कहा कि "मेरी वालिदा का इन्तेक़ाल हो गया है। अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उसे उस (सदक़े) का सवाब मिलेगा? तो आप सल्ल0 ने फ़रमाया–हां बेशक।"**(बुख़ारी–2770&नसाई–3699)**

(5) सअद बिन उबादा राज़ि. ने अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद रसूल सल्ल0 से पूछा कि "उन के हक़ में कौन सा सदक़ा बेहतर होगा? तो आप सल्ल0 ने फ़रमाया–पानी। तो सअद रज़ि. ने एक कुआं खुदवाया और ऐलान करवा दिया कि यह उम्मे सअद के सवाब के लिए है।" **(अहमद–22826–सही)** (इस हुक्म में नहर, सबील, नल, बोरिंग वगैरह सब शामिल हैं।)

(6) "एक शख़्स ने रसूल सल्ल0 से कहा कि मेरे वाल्दैन ने माल छोड़ा है और उसके बारे में कोई वसीयत नहीं की अगर मैं उनके लिए सदक़ा करूं तो क्या उनके लिए काफ़ी होगा? आप सल्ल0 ने फ़रमया – "हां" **(मुस्लिम – 1704 & नसाई–3685)**

(7) मय्यत को मुसलमानों की दुआ और उसके लिए उनके किये अस्तग़फ़ार से भी सवाब पहुंचता है। जैसा कि इर्शादे बारी है "जो लोग उनके बाद आए (वोह) कहते हैं–ऐ हमारे रब! हमें बख्श दे और हमारे उन भाईयों को भी जो हमसे पहले ईमान के साथ गुज़र गए।"**(सूरह हश्र–आयत–10)**

ज़िन्दों की तरफ़ से मुर्दों को सवाब पहुंचाने के बारे में एक भी ऐसी दलील (हदीस) नहीं जिससे मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए कुरआन पढ़ने या कोई ख़ास सूरह पढ़ने और उसका सवाब मुर्दों को बख़्शने का सुबूत मिलता हो।

आज जो लोग मय्यत पर या क़ब्रों पर कुरआन ख़्वानी करते–कराते हैं। उसके बारे में मुफ़स्सिरीन और अइम्मा रह0 की क्या राय है? और इस्लामी शरीअत व सुन्नते रसूल सल्ल0 में क्या इस अमल का कोई सुबूत भी है? आइये जानते हैं–

(1) हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह0– कहते हैं "कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ उठाने के लिए किसी को बुलाए तो (भी) कोई उसका बोझ हल्का नहीं करेगा। अगर चे क़रीबी रिश्तेदार ही क्यों न हों"**(फ़ातिर–आयत–18)**

"इन्सान को वही मिलता है, जिसकी वह कोशिश करता है।" **(नज्म–आयत–39)**

इन दो आयात को दलील बना कर इमाम शाफ़ई रह0 ने कहा कि कुरआन पढ़ने का सवाब मुर्दों को नहीं पहुंचता क्योंकि यह मुर्दों का अमल व कमाई नहीं है।यह तरीक़ा रसूल सल्ल0, सहाबा किराम रज़ि. और ताबईन रह0 से भी साबित नहीं है। रही वह हदीस कि तीन तरीकों से तो यह मय्यत ही का अमल, उसकी कोशिश और मेहनत का नतीजा हैं। जैसा कि हदीस में है "आदमी जो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा चीज़ खाता है। वह उसकी खुद की कमाई है और उसकी औलाद उसकी बेहतरीन कमाई है।"**(इब्ने माजा–2137–सही)** रहा सदक़ा जारिया तो यह भी इन्सान के अपने अमल का नतीजा है जैसा कि इर्शादे बारी है "बेशक! हम मुर्दों को ज़िन्दा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और जो निशान पीछे रह गए हैं, हम उन्हें लिख लेते हैं।"**(यासीन–आयत–12)** इस तरह जिस इल्म को उसने फैलाया और लोगों ने उस पर अमल किया यह भी मय्यत ही का अमल और उसकी कोशिशों का फल है जैसा कि हदीस में है "जिस शख़्स ने किसी हिदायत की तरफ दअवत दी तो उसको अमल करने वालों के अज्र के बराबर सवाब मिलेगा और अमल करने वालों के सवाब में कमी नहीं की जाएगी।"**(मुस्लिम–1727)**

(2) **अल्लामा रशीद रज़ा**–सूरह अनआम की आयत 164 की तफ़्सीर में लिखते हैं कि "कुरआन ख़्वानी और औराद व वज़ाइफ़ का सवाब मुर्दों को बख़्शने का जो रिवाज है साथ ही उजरत पर कुरआन पढ़वाने का जो चलन है यह सब ग़ैर शरई अमल व बिदअत है इसी तरह शहरों–देहातों में मुर्दों के लिए फ़ातिहा पढ़ने का जो अमल है वह भी किसी हदीस से साबित नहीं है। बल्कि यह एक ऐसी बिदअत है जो इस्लामी शरीअत के सरासर ख़िलाफ़ है। इसका रिवाज तो इस तरह पड़ गया कि उलैमा हज़रात ने इस पर चुप्पी साध ली और आम मुसलमान इससे ऐसे चिपक गए जैसे यह कोई फ़र्ज़ या सुन्नते मुअक्केदा हो। जबकि इर्शादे बारी है "उस दिन से डरो जब बाप न तो बेटे के कुछ काम आए और न बेटा अपने बाप के कुछ काम आ सके।" **(सबा–आयत–33)**

आगे इब्ने हज़र रह0 से नक़ल किया कि 'जब उन से पूछा गया कि एक शख़्स ने कुछ कुरआन पढ़ा और कहा कि ऐ अल्लाह! मैंने जो कुछ कुरआन पढ़ा तू इसे रसूल सल्ल0 की बुज़ूर्गी में इज़ाफ़े का ज़रिया बना तो इब्ने हजर रह0 ने फ़रमाया कि "यह बाद के क़ारियों की ईजाद है पिछले लोगों में तो हमने इसके बारे में न कुछ सुना और न जाना। यह ऐसे मुल्लाओं की ईजाद है जो कुरआन की एक आयत का मतलब तक नहीं जानते न उन्हें

इस आयत का मआनी पता है कि ''जो कुछ रसूल तुम्हें दें, उसको ले लो और जिससे मना करें उससे रूक जाओ।''**(हश्र–आयत–7)**

न इस हदीस का इल्म है ''जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म न था, वह मरदूद है।'' **(मुस्लिम–3317,4492&अबुदाऊद–4606)** और न यह मालूम है ''तमाम कामों में बदतरीन काम वह है जो दीन में नया ईजाद किया जाए और हर नया पैदा किया गया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।''**(बुख़ारी–2697&मुस्लिम–4493)**
बस यही लोग हैं जिन्होंने कुरआन को अपनी रोटी–रोज़ी कमाने का ज़रिया बना लिया है। उनका हिसाब अल्लाह ही के ज़िम्मे है। इसलिए कि आप सल्ल0 का इर्शाद है ''कुरआन पढ़ो और उससे खाओ मत। इससे माल मत बढाओ। इससे सख़्ती मत इख़्तियार करो (यानि इस पर अमल करना मत छोड़ो) और इसमें गुलू (तहरीफ़) मत करो।'' **(बैहक़ी–शुअबल ईमान)**
(3) **इमाम नौवी रह0**– सही मुस्लिम की एक हदीस की शरह में लिखते हैं ''मय्यत की तरफ़ से सदक़ा मय्यत को नफ़ा पहुंचाता है दुआ भी मय्यत को नफ़ा देती है और कर्ज़ भी मय्यत की तरफ़ से अदा हो जाता है। मय्यत की तरफ़ से हज्जे बदल भी सही है। नज़र के रोज़े की कज़ा भी जाइज़ है मगर कुरआन की क़िराअत का सवाब मय्यत को नहीं पहुंचता।''
(4) इमाम शौकानी रह0– 'अल मुन्तक़ी' की शरह में लिखते हैं कि ''तिलावते कुरआन मुर्दों के लिए फ़ायदेमन्द नहीं और कुरआन को क़ब्रों पर भी न पढ़ा जाए।'' इसलिए कि आप सल्ल0 का इर्शाद है ''अपने घरों में सूरह बक़रह पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रिस्तान मत बनाओ।'' **(मुस्लिम–1824&अहमद–9030&तिरमिज़ी–2649)** और यह कि ''अपने घरों में नमाज़ पढ़ा करो और उन को कब्रिस्तान मत बनाओ।'' **(बुख़ारी–432&मुस्लिम–1820&इब्ने माज़ा–1377)**
(5) इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का मज़हब–

मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी रह0 ने 'शरह फ़िक्ह अकबर' के सफ़ा–110 पर लिखा है कि इमाम अबु हनीफ़ा रह0 इमाम मालिक रह0 और इमाम अहमद बिन हम्बल रह0 के नज़दीक क़ब्रों के पास कुरआन पढ़ना मकरूह है, क्योंकि यह बिदअत है।

इमाम बरकूई रह0 'तरीक़ा मुहम्मदिया' की तीसरी फ़स्ल में हनफ़ी मज़हब का फ़तवा इस तरह नक़ल करते हैं कि ''लोग यह समझ कर इस काम पर लगे पड़े है कि यह सवाब का काम है। मसलन मय्यत की इस वसीयत को पूरा करना कि उसकी वफ़ात पर या उसके बाद किसी दिन खाना तैयार करके खिलाना और ईसाले सवाब के लिए कुरआन पढ़ना या पढ़वाना और तस्बीहात का पढ़ना यह सब बिदअत है, इसकी उजरत हराम है और पढ़ने वाला गुनाहगार है।''

अल्लामा उज़ बिन अब्दुस्सलाम हनफ़ी रह0 से जब पूछा गया ''कि कुरआन पढ़कर उसका सवाब मय्यत को पहुंचता है? तो अल्लामा रह0 ने जवाब दिया कि कुरआन का सवाब तिलावत करने वाले ही के लिए ख़ास है, उसके सिवा दूसरे को नहीं पहुंचता मुझे तअज्जुब है कि कुछ लोंग इसे ख़्वाबों के ज़रिये साबित करना चाहते हैं, हालांकि ख़्वाब दलील नहीं हो सकते।''
(6) इमाम मालिक रह0 का मजहब–

मालिकी आलिम शैख़ इब्ने अबि जमरह कहते हैं कि क़ब्रों के पास

कुरआन पढ़ना सुन्नत नहीं, बिदअत है।'' **(अल मुदख़ल)** 'शरह अल सग़ीर के सफ़ा–180 पर लिखा है कि ''कुरआन का कोई हिस्सा मौत के वक़्त पढ़ना और मरने के बाद क़ब्रों पर पढ़ना मकरूह है। क्योंकि यह सहाबा रज़ि. व ताबईन रह0 का तरीक़ा नहीं है। वोह मुर्दों के लिए बख़्शिश और रहमत की दुआ करते थे। क़ब्रों से तो इबरत हासिल करते थे।''

(7) इमाम शाफ़ई रह0 का मज़हब–

सही मुस्लिम की शरह में इमाम नौवी रह0 ने इमाम शाफ़ई रह0 का यह मज़हब नक़ल किया कि ''कुरआन पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को बख़्शने और मय्यत की तरफ़ से नमाज़ पढ़ने का सवाब मय्यत को नहीं पहुंचता।'' (रियाज़ुस्सालीहीन जिल्द–1–सफ़ा–730)

(8) इमाम अहमद रह0 का मज़हब–

इमाम अहमद रह0 कहते थे ''क़ब्र पर कुरआन पढ़ना बिदअत है। मय्यत को ईसाले सवाब के लिए कुरआन पढ़ना बिदअत है। इसलिए कि सहाबा किराम रज़ि. व ताबईन रह0 जब नफ़ली नमाज़ पढ़ते, या नफ़ली हज करते या कुरआन पढ़ते थे तो उसका सवाब मुर्दों को नहीं बख़्शते थे।''

इमाम अबुल हसन बाअली रह0 का बयान है कि ''मज़दूरी पर कुरआन पढ़वाना जाइज़ नहीं और न ही उसका सवाब बख़्शना जाइज़ है। क़ारी जब उजरत के लिए पढ़ेगा तो सवाब उसको ही नहीं मिलेगा, फिर मय्यत को वह क्या बख़्शेगा?। भोले मुसलमानो। अगर कुरआन ख़्वानी का सवाब मय्यत को पहुंचता तो एक भी मुसलमान जहन्नम में न जाता। ख़ास तौर पर दौलत मन्द तो हरगिज़ नहीं क्योंकि उसके वुरसा तो उजरत पर एक दिन में बीस बीस ख़त्में कुरआन करवा कर उसका सवाब मय्यत को बख़्शवा देते ।

कुछ फतावे

(1) ''ईसाले सवाब के लिए खाना सामने रखकर उस पर सूरह फ़ातिहा और तीन दफ़ा सूरह इख़लास पढ़ कर फ़ातिहा लगाने का तरीक़ा बे असल व बिदअत है।''

(फ़तावा रहीमया–जिल्द 3 सफ़ा–194)

(2) अहले मय्यत के घर खाना खाने और खिलाने के लिए जमा होना नाज़ाइज़ है **(अहसनुल फ़तावा–जिल्द–1 सफ़ा–381)**

(3) 'अहले मय्यत की तरफ़ से मुख्वजा दावत बिदअत व ना जाइज है।'' **(निज़ामुल फ़तावा–जिल्द–1 सफ़ा–147)**

(4) 'तीजा, दसवां, बारहवां, बीसवां, चालीस वां, शशमाही और बरसी वग़ैरह इस्लामी तक़रीबात नहीं बल्कि ग़ैरकौमों की तक़लीद का नतीजा हैं।''**(फ़तावा रहीमया–जिल्द 10 सफ़ा–396)**

(5) ''ईद के दिन मय्यत वाले घर खाना भेजने का दस्तूर ग़लत है।'' **(फ़तावा रहीमया–जिल्द 6 सफ़ा–273)** (यह सारे फ़तवे उलैमा–ए–अहनाफ़ के हैं)

क्या अब भी वह वक़्त नहीं आया कि हम ग़फ़लत की नींद से जाग जांए और बिदअत व गुमराही से अपना दामन साफ़ कर लें। आख़िर हमारे उलैमा किराम इन बिदआत के ख़िलाफ़ कब ज़बान खोलेंगें? कब कम इल्म लोगों को इन बिदआत के बुरे अन्जाम से डराएंगे? अगर उनमें इन बिदआत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की चाहत व हिम्मत नहीं तो जो लोग इन बिदआत

के ख़िलाफ़ जद्दो जहद कर रहे हैं, उनका ही साथ दें और अगर यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी मुख़ालिफ़त तो न करें। इसलिए कि वोह खुद जानते हैं कि "कुरआन व सुन्नत की बात करने वालों और उनकी तरफ़ दावत देने वालों की मुखालिफ़त दुनिया में भले ही उन्हें कुछ नफ़ा दे दे। लेकिन आख़िरत में बड़े नुक्सान की वजह बनेगी।

अफ़सोस की बात यही है कि कुछ उलैमा ही ने इन बिदआत को दुनिया कमाने का ज़रिया बना रखा है और बिदआत से रोकने व सुन्नते रसूल सल्ल0 की तरफ़ बुलाने वालों को बुरे अलक़ाबात से नवाज़ते हैं।

मुसलमानों। ज़रा सोचो। क्या तुम दीन के ठेकेदरों और कम इल्म मुल्लाओं के गुलाम हों? अगर नहीं और यक़ीनन नहीं तो क्यों तुमने उलैमा व मशाइख़ को रब बना रखा है? क्यों वोह जिसे हलाल व जाइज़ कहें, तुम उसी को हलाल व जाइज़ समझते हो और जिसे वोह हराम व नाजाइज़ बताए उसे तुम बिना दलील जाने नाजाइज़ व हराम मान लेते हो? लेकिन कुरआन जो तुम्हारी ज़िन्दगी का मकसद और रहनुमा है, उसे तुम किसी की मौत के वक़्त पढ़ते हो या मौत हो जाने के बाद मय्यत को ईसाले सवाब करने के लिए। ज़रा सोचिए। जिस काम का हुक्म ना अल्लाह ने दिया और ना अल्लाह के रसूल सल्ल. ने , ना खुलफ़ा ए राशिदीन व सहाबा किराम रजि. ने और ना इमामाने दीन ने, क्या वह सवाब का काम हो सकता है?

आओ! हम अपनी उख़रवी निजात के बारे में सोचें। बुजुर्ग परस्ती और उलैमा परस्ती की नींद से जागें और अल्लाह की किताब से अमलन चिमट जाएं। तिलावते कुरआन ग़ौर व तदब्बुर के साथ करें। बार–बार कुरआन का तरजुमा पढ़े और कुरआन समझने के लिए आलिमों से मदद भी लें। फिर कुरआन व सही अहादीसे रसूल सल्ल0 के मुताबिक़ जिन्दगी गुज़ारने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह भी इस बारे में हमारे लिए आसानी पैदा करे।

आख़िर में "माहिरूल क़ादरी" साहब की क़लम से कुरआन की फ़रियाद भी सुन लीजिए –

"ताक़ों में सजाया जाता हूँ आंखों से लगा या जाता हूँ।
तअवीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ
जुज़दान हरीर व रेशम के, और फूल–सितारे चांदी के
फिर अतर की बारिश होती है, खुश्बू में बसाया जाता हूँ
जब क़ौल व क़सम लेने के लिए, तकरार की नौबत आती है
फिर मेरी ज़रूरत होती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ
किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं
फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं
मुझसे यह मुहब्बत के दावे, क़ानून पर राज़ी ग़ैरों के
यूं भी मुझे रूसवा करते हैं, यूं भी मैं सताया जाता हूँ।"

अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को कुरआन पढ़ने, उसे समझने और उसके मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे और हर बिदअत व गुमराही से बचा कर अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन!

आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
9214836639
9887239649